

दिल्ली मुकदमा हुकमनामा

(ओ 20 का 9 अंश सी.सी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज

(दीहासीय अधिकारी प्रशासन नाव के संग शिक्ति 2021)

सहायक - श्री सन्तोष कुमार मीना (अप ए ए)

शिक्ति का स्थान - सुतेल

दिनांक : 10.12.2021

संख्या - राजस्थान कोड / 46 / 2019

सुनवान प्रकरण

1. मोतीलाल का कतीराप

2. श्रीगठई का कतीराप

जारे मुकदमे के सुतेल

ब

मा

म

1. मोतीलाल का कतीराप

2. श्रीगठई का कतीराप

जारे मुकदमे के सुतेल

दावा धारा 88, 89

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज काशी हुकमनामा द्वारा प्रारंभ

व हाजिरी काशी काशी मिनजामिन मुकदमे के मध्य

काशी काशी मिनजामिन मुकदमा के मध्य प्रारंभ हुआ है व दिखी दी जाती है कि

प्रस्तुत प्रकरण में नाम सुतेल की जमाबंदी सं. 2069-72 के खता सं. 825 की काशी किता 2 रकबा 4-08 भूमि में काशी का नाम हरकर जतिवादी का नाम दर्ज किया जाये एवं इसी प्रकार खता सं. 170 की काशी किता 2 रकबा 3-04 भूमि में जतिवादी का नाम हरकर काशी का नाम दर्ज किया जाये का आदेश प्रदान किया जाता है।



मुबलिन _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमे के मध्य सुद बशरत _____ सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदावगी तक _____ का अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.21 को जारी की गई।

(Handwritten signature)

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज.)

मुकदमा	रकबा	दर	मुकदमा	रकबा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील			खर्चा मवाहान	
खर्चा मवाहान			डीस कमिशनर	
डीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतासरिक	
मुतासरिक मीजान			मीजान	

